न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या 73 / 2023

प्रार्थीगण		**अप्रार्थी**	
1	पुनाराम पुत्र मादाराम	1	राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत, तह0–सोजत।
2.	चिमनाराम पुत्र मादाराम		
3.	खरताराम पुत्र मंगलाराम		
4.	नत्थाराम पुत्र मंगलाराम		
5.	नेमाराम पुत्र मंगलाराम		
6.	भीखाराम पुत्र मंगलाराम जाति घांची निवासीगण सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

1. **श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।**
2. **तहसीलदार, सोजत स्वयं उपस्थित।**

दिनांक 11/03/2024

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान में राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2047 से 49 अनुसार स्थित खाता संख्या 1366 के खसरा नंबर 1043 रकबा 3.08 है0 एवं खसरा नं0 1045 रकबा 1.43 है0, खसरा नं0 1048 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 1049 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 1050 रकबा 1.76 है0 कुल खसरा 05 कुल रकबा 7.72 है0 तथा खसरा नं0 1044 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 1046 रकबा 0.0400 है0 किस्म गै0मु0 बेरा एवं खसरा नं0 1047 रकबा 0.0600 है0 किस्म गै0मु0 सड़ा की भूमि प्रार्थी सं0 1 से 6 के प्रिसिंपल विक्रेता सुजाराम पुत्र मादाराम की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई हैं। उपरोक्त भूमि में प्रार्थी सं0 01 पुनाराम का 1/3 हक हिस्सा व प्रार्थी सं0 02 चिमनाराम का 1/3 हक हिस्सा व इनके भाई सुजाराम पुत्र मादाराम का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का था। तीनों भाईयों ने आपसी सहमति से उपरोक्त कृषि भूमि का विभाजन पत्र कर बंटवाड़ा तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रस्तुत किया। सुजाराम पुत्र मादाराम के हक हिस्से का प्रार्थी सं0 3 से 6 को विक्रय कर दिया तथा खसरा नं0 1046, 1047 सभी खातेदारों के सामलती उपयोग उपभोग का है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण इसी अनुरूप खातेदार दर्ज है। तहसीलदार सोजत द्वारा खातेदारों की सहमति से दिनांक 29.02.1992 को उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा तहरीर व तकमील का निष्पादन किया। आपसी सहमति के बंटवाड़े के अनुसार राजस्व ट्रैस नक्शे, में तरमीम करते समय अशुद्धि कर दी तथा बिना मौके की जांच किए काबिज स्थिति विपरीत में ट्रैस नक्शें में तरमीम कर दी। वर्तमान में दिनांक 20.05.2023 को प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर आपसी सहमति से सीमांकन करने हेतु सहमत होकर संबंधी पटवारी के पास राजस्व नक्शे की प्रति हेतु सम्पर्क किया तब जानकारी में आया कि मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं की जाकर मनमर्जी से तरमीम कर दी गई। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरहद मौजा ग्राम सोजत चक

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

प्रथम तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान में राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2047 से 49 अनुसार स्थित खाता संख्या 1366 के खसरा नंबर 1043 रकबा 3.08 है0 एवं खसरा नं0 1045 रकबा 1.43 है0, खसरा नं0 1048 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 1049 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 1050 रकबा 1.76 है0 कुल खसरा 05 कुल रकबा 7.72 है0 तथा खसरा नं0 1044 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 1046 रकबा 0.0400 है0 किस्म गै0मु0 बेरा एवं खसरा नं0 1047 रकबा 0.0600 है0 किस्म गै0मु0 सड़ा की कृषि भूमि के राजस्व नक्शे में की गई गलत तरमीम को पुनः मौके पर काबिज स्थिति अनुसार दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया है कि पैरा संख्या 1 में वर्णित सम्पति सरहद मौजा सोजत चक 1 में स्थित है। पैरा 2 से 3 में वर्णित तथ्य प्रार्थी स्वयं साक्ष्य सबूत पेश करना अंकित किया है। पेरा 4 से 6 को कानूनी होना बताया है।

हस्तगत प्रकरण में मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा दिनांक 11.09.2023 को मौका व रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 1043, 1045/2, 1048/2, 1049, 1043/2, 1044/1, 1045, 1048, 1049/2, 1050/2 की तरमीम भी ऑनलाईन राजस्व नक्शा में दर्ज है जो कि पूर्व में सहखातेदारों द्वारा आपसी सहमति बंटवाड़ा एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार सही है। वर्तमान में खातेदार मौकानुसार एवं राजस्व नक्शा लट्टा अनुसार काबिज खसरों में भिन्नता अर्थात् मौका अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं है। पटवारी सोजत चक प्रथम द्वारा गुगल इम्मेज में सुपरइम्पोज करते हुए मौके एवं रेकर्ड की स्थिति दर्शाया गया है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम के दौरान मौके की स्थिति को दरकिनार करते हुए मनमाफिक तरमीम कर दी गई। जिससे की मौके की व रेकर्ड की स्थिति में भिन्नता है। मौके पर काबिज स्थिति अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाव बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट से एवं रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत गुगल इमेजनरी से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा मौके पर काबिज स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड में की गई तरमीम में भिन्नता है। जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान में राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2047 से 49 अनुसार स्थित खाता संख्या 1366 के खसरा नंबर 1043 रकबा 3.08 है0 एवं खसरा नं0 1045 रकबा 1.43 है0

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

सरा नं0 1048 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 1049 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 1050 रकबा 1.76 है0 कुल खसरा 05 कुल रकबा 7.72 है0 तथा खसरा नं0 1044 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 1046 रकबा 0.0400 है0 किस्म गै0मु0 बेरा एवं खसरा नं0 1047 रकबा 0.0600 है0 किस्म गै0मु0 सड़ा की कृषि भूमि की वर्तमान तरमीम को खारिज किया जाता है। उक्त खसरो की तरमीम त्रुटि दुरूस्त कर मौके पर काबिज स्थिति अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। प्रा0 पत्र मय नजरी नक्शा मय पटवारी रिपोर्ट को निर्णय का एक भाग माना जावें। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय तथा उक्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियाँ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 11/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत सिटी जिला-पाली (राज.)